न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी : मोहम्मद ताहिर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 43 / 17

1. रामकल्याण आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. किशनलाल आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. मोडू आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 18.08.2020

उपस्थिति : श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक वादी
श्री जावेद इकबाल, अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –
   - वादी एवं प्रतिवादीगण के पैतृक संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 40, 145, 147, 151/579, 265, 286 कुल किता 6 रकबा 4.53 हैक्टर वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी के खाते समभाग से दर्ज है।
   - उपरोक्त भूमियों में से राज्य सरकार द्वारा खसरा नम्बर 151 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 की 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 की 0.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 265 की 0.08 हैक्टर आराजी अवाप्त की गई है।
   - स्व. घांसी द्वारा अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा कर दिया था तथा उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 265 की 1.65 हैक्टर आराजी वादी को मौखिक बंटवारे में दी थी। उक्त आराजी पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है और आज भी काबिज है।
   - उक्त आराजी खसरा नम्बर 265 में वादी ने काफी रकम खर्च कर ट्यूबवेल लगवाया है, बिजली कनेक्शन प्राप्त किया हुआ है तथा वादी का उक्त भूमि पर रिहायसी मकान बना हुआ है तथा उक्त भूमि के डवलपमेन्ट में वादी द्वारा काफी रकम खर्च की गई है।

- वर्तमान में भूमि की कीमतें बढने तथा वादी के हिस्से की उपरोक्त भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण प्रतिवादीगण, वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने लग गये है तथा जबरन वादी की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है तथा आये दिन लडाई झगडा करते है।
- प्रतिवादीगण द्वारा जबरन वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश करने पर तथा पूर्व बंटवारा को नहीं मानने तथा पृथक खाता व लगान कायम करवाने से इन्कार करने पर दिनांक 10.07.2017 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को उसके कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 265 बंटवारे में दी जावे तथा अन्य भूमि का पक्षकारान में बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे तथा वादी को शान्तिपूर्व काश्त करने दे।
- वादी द्वारा अपने कथम के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 पेश की गई है।

3(क) प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- खसरा नम्बर 265 रकबा 1.55 हैक्टर मौखिक बंटवारा में वादी को पिता के जीवनकाल के समय प्राप्त हुई थी। इसके बाद वादी काबिज व काश्त कर रहा है और खसरा नम्बर 286 रकबा 1.31 हैक्टरव खसरा नम्बर 145, 147 व 151/579 में 1/3 हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है।
- वादी एवं प्रतिवादी अपना अपना करता पिलाई जमा कर रहे है। मुझ प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त बंटवारा कराने में कोई आपत्ति नहीं है।
- अतः जवब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद की डिक्री फरमायी जावे व खसरा नम्बर 286 रकबा 1.31 हैक्टर की सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 145, 147 व 151/579 में से 1/3 हिस्से का मेरे नाम रिकार्ड में दर्ज कर बंटवारा अलग से कायम किया जावे।

3(ख) प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- पिताजी के जीवनकाल में पिताजी और हम तीन भाई संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजी पर काश्त करते थे। पिताजी ने कभी भी खसरा नम्बर 265 रकबा 1.55 हैक्टर वादी को नहीं दी गई तथा पिता के 100 बरस पूरे होने पर वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से सम्पूर्ण आराजी का मौखिक बंटवारा कर लिया था जिसमें खसरा नम्बर 265 में से डेढ बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम–2 मोडूलाल के हिस्से में आई थी, जिस पर वर्तमान में भी प्रतिवादी क्रम–2 मोडूलाल का ही कब्जा है तथा खसरा नम्बर 265 में से ही 2 बीघा भूमि पर किशनलाल का कब्जा है एवं शेष बचे रकबे पर वादी का कब्जा है।
- खसरा नम्बर 265 में ट्यूबवेल वादी एवं प्रतिवादीगण के पिताजी द्वारा स्वयं उनके जीवनकाल में लगवाया गया था तथा उक्त आराजी पर बिजली का कनेक्शन भी हमारे पिताजी द्वारा ही लगवाया गया था जिसका बिजली का बिल पिताजी के जीवनकाल में उनके नाम पर ही आता था तथा प्रतिवादीगण की सहमति से उक्त

बिजली का कनेक्शन वादी का सबसे बडा भाई होने के नाते उसके नाम हस्तान्तरित करवाया गया। उक्त आराजी में कच्चा कमरा बना हुआ है, वह भी वादी व प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में बनवाया था। वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 265 के डवलपमेन्ट में कोई राशि वगैरहा खर्च नहीं की गई है।

- वादी के मन में बदनीयति आ गई है, जिसके कारण वह उक्त आराजी खसरा नम्बर 265 की डेढ बीघा आराजी से प्रतिवादी क्रम–2 को बेदखल करना चाहता है, जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है।
- प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कोशिश नहीं की गई है और न ही कोई लडाई झगडा किया गया है। इस प्रकार वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।
- अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी सव्यय खारित फरमाया जावे।

4. दौराने वाद, वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने अपने अभिभाषकगण के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश करते हुये निवेदन किया कि –

- प्रतिवादी नम्बर–2 मोडूलाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बरी 145 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 151/579 रकबा 0.09 हैक्टर पर कब्जा काश्त कर रहा है, जो उनको प्राप्त हुआ है।
- वादी रामकल्याण खसरा नम्बर 265 रकबा 1.55 हैक्टर पर कब्जा काश्त कर रहा है, जो वादी को प्राप्त हुआ है।
- प्रतिवादी नम्बर–1 किशनलाल खसरा नम्बर 286 रकबा 1.31 हैक्टर पर काबिज काश्त है जो उनको प्राप्त हुआ है।
- अतः प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा में अंकित तथ्यों के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी को अपने अपने खसरा नम्बर का खातेदार घोषित किया जाकर राजीनामा के आधार पर डिक्री प्रदान की जावे।

5. स्वयं की पहचान के लिये वादी रामकल्याण ने अपने आधार कार्ड संख्या 864946280602 एवं प्रतिवादी क्रम–1 किशनलाल ने अपने आधार कार्ड संख्या 335613781773 तथा प्रतिवादी क्रम–2 ने अपने आधार कार्ड संख्या 661999132730 की स्वप्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त प्रतियों का मूल आधार कार्डो से मिलान किया गया। प्रकरण की आदेशिका पर पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अभिभाषक ने तथा प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने राजीनामा अनुसार विवादित आराजी का विभाजन कर पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया। हमने राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः राजीनामा तस्दीक कर स्वीकार करने तथा राजीनामा अनुसार विवादित आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 1.55 हैक्टर वादी रामकल्याण पुत्र घांसी के खाते तथा आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 1.31 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–1 किशनलाल के खाते एवं आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 151/579 रकबा 0.09 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–2

मोडूलाल के पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18 अगस्त, 2020 को लिखवाया तथा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद ताहिर) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
कोटा

फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी -- मोहम्मद ताहिर, R.A.S.

बउनवान :-

1. रामकल्याण आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. किशनलाल आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. मोडू आत्मज स्व. श्री घांसी, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 43 / 17
निर्णय दिनांक : 18-08-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रामरतन मीणा, प्रतिवादी अभिभाषक श्री जावेद इकबाल तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम--1, 2 की उपस्थिति में आज तारीख 18--08--2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहिर, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये राजीनामा पेश होने पर राजीनामा तस्दीक कर स्वीकार करने तथा राजीनामा अनुसार विवादित आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 1.55 हैक्टर वादी रामकल्याण पुत्र घांसी के खाते तथा आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 1.31 हैक्टर प्रतिवादी क्रम--1 किशनलाल के खाते एवं आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 / 579 रकबा 0.09 हैक्टर प्रतिवादी क्रम--2 मोडूलाल के पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना--अपना वहन करें।

यह फाईनल डिक्री आज तारीख 04.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहम्मद ताहिर) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह--व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह--व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

RamKalyan.KishanLal